न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 47 / 2020 **जीसीएमएस नम्बर 2020 / 00134**

अनवान

1. राजुराम पुत्र पूनमाराम जाति विश्नोई निवासी डेडवा खुर्द तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थी..........

1. पूनमाराम पुत्र हीरारामजी।
2. बिरबल पुत्र हीरारामजी जातियान विश्नोई निवासीगण डेडवा खुर्द तहसील सांचौर जिला जालोर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।
4. उप पंजियक सांचौर।

अप्राथीगण............

प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा एवं जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

रजु तारीखः—02.11.2020

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार पुरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 से 4 एकपक्षीय।

—:निर्णयः—

दिनांकः— **17.12.2025**

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक पुत्र—पिता है व अप्रार्थी संख्या 2 भाई है। अप्रार्थी संख्या एक हमारे साथ संयूक्त परिवार में निवास कर रहे है परन्तु अप्रार्थी संख्या एक अभी कुछ लोगों के अनुचित प्रभाव में है तथां उनके अनुचित प्रभाव में आकर पुश्तैनी भूमि खुर्द—बूर्द करने पर तुले हुए है। कि ग्राम डेडवा के पुरानां खेत खसरा नम्बर 43, 208 व अन्य भूमि प्रथम सर्वे के वक्त ही हीरा पुत्र लच्छा कौम विश्नोई निवासी डेडवा के नाम [illegible]। हीरा के तीन पुत्रों में विभाजन होकर मेरे पिता को खसरा पुराना 48 का कुछ भाग [illegible] खसरा नम्बर 208 बंटवाडा में प्राप्त हुई है। जिसमें नये सर्वे के [illegible] रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 370 रकबा 5.[illegible] हैक्टर जिसमें खसरा नम्बर 99 का कुछ भाग मिला था। इसलिए उसके बट्टा नम्बर 1023 / 99 रकबा 0.46 हैक्टर दर्ज हुए अब अप्रार्थी संख्या एक को जरिये उत्तराधिकार जरिये बंटवाडा खसरा नम्बर 1023 / 99 रकबा 0.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 370 रकबा 5.41 हेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

जुमले रकबा 5.92 हैक्टर अप्रार्थी संख्या एक के नाम खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या एक मेरे पिता अभी विगत 7 दिन से घर पर नहीं आकर बाहर घूम रहे है तथा हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त करना चाहते है व आज से दो दिन पूर्व एक अजनबी व्यक्ति के गाडी में बैठकर साथ आये जो हिन्दी भाषी था जिसे हमारे कब्जे की भूमि को इंगित करते हुए बैचान की पेशकस की तब मुझे जानकारी होने पर मैं उनके पास गया तो यह कहते हुए की यह भूमि में खरीद रहा हूं व बाहर निकालने की धमकियां देकर चले गये। प्रार्थना–पत्र के तीन मूलभूत आधार स्तंभ प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर गौर किया जाय तो तीनों ही वाद के आधार स्तंभ मुझ प्रार्थी के पक्ष के है। क्योंकि प्रथम दृष्टया 2012 की जमाबन्दी का मूलायजा फरमाया जाये, तो यह भूमि हीरा पुत्र लच्छाजी के नाम है तथा उन से पूनमाराम को प्राप्त हुई है। इसलिए पुश्तैनी भूमि है। जंहा हम जन्म से काबिज कारत है व ढाणी बनाकर निवास कर रहे है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी मेरे पक्ष का है व पुस्तैनी भूमि के मूल खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जाता है तो हमें अपूर्णीय क्षति होगी, जबकि अप्रार्थी संख्या एक का कृत्य विधि विरुद्ध है। सो उन्हे किसी तरह का नुकसान होने का अन्देशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम डेडवा में हमारे पुस्तैनी खातेदारी के खेत के हाल खसरा नम्बर 1023/99, 369, 370 जुमले रकबा 5.92 हैक्टर में ताफैसला मूलवाद वादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे, वैचान अथवा हस्तांतरण अथवा रहन नहीं करे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे।

2. उक्त प्रकरण दिनांक 02.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाकर तलब किया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश पुरोहित उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 मेरे साथ निवास नही कर रहे है। उक्त दोनो ने मुझे व मेरी पुत्री कमला को उक्त मेरी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने हेतू एक मनगंढत तथ्यो पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में मेरी पुत्री भी मेरी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त होने से तथा उसकी पुश्तैनी भूमि होने से कमला को प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक्ता था। प्रार्थी का यह तथ्य की भूमि को किसी प्रकार से वेस्ट किया जा रहा है गलत है उक्त वादग्रस्त आराजी की खातेदारी मेरे नाम है एवं मैं – कर्ताखानदान होने से उक्त भूमि में काश्त आदि कार्य कर प्रार्थी व अप्रा. संख्या 02 का पालन पौषण किया है तथा खातेदारी मेरे नाम होने से मेरे जिंदा जी उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार पाने का कोई विधिक अधिकार प्रार्थी को नही है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रार्थी ने मगढंत तथ्य व झुठे तथ्यो पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त दोनो ने कभी मुझे अपने साथ घर में नहीं रखा है। मैं अपनी पुत्री कमला के साथ रहता हूँ तथा वो मेरी सेवा चाकरी करती है। मै अपने जीवन काल में अपनी पुत्री को उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा भूमि उसे दान कर दी है जिस पर उसका कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

काश्त है। तथा उक्त आराजी में कमला की पुश्तैनी आराजी होने से उसका हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत कानूनन हिस्सा भी है। मैने किसी अजनबी क्रेता को बैचान नहीं किया है। मुझ अप्रार्थी की खातेदारी उक्त सम्पूर्ण आराजी की होने से मैं कर्ताखानदान हूँ मेरे जीवन काल में प्रार्थी को खातेदारी प्राप्त करने कोई विधिवत अधिकार प्राप्त नहीं है ऐसी सुरत में प्रथम दृष्टया मामला मेरे हक में सिद्ध है तथा वर्तमान में मेरा विधिवत कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन, मुझे मेरी खातेदारी के खेत में किसी प्रकार की दखलन्दाजी प्रार्थीगण करते है, तो मुझे अपूर्णीय क्षति होगी। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन व झुठा होने से प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारीज फरमावे।

4. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई एवं उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। अतः हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर निवेचन करते हुए निर्णित करना उचित समझते है :—

5. <u>(1) प्रथम दृष्टया प्रकरणः—</u> प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के वर्तमान खातेदार का जायन्दा कानूनी वारिश होने तथा उक्त भूमि पुश्तैनी होने का कथन करते हुए प्रार्थना—पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 66 के स्वीकृत होने पर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये उतराधिकार उक्त वादग्रस्त आराजी प्राप्त हुई। वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 मेरे साथ निवास नहीं कर रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी में से 1/3 हिस्सा जरिये दानपत्र के दिनांक 22.08.2025 को मेरी पुत्री को दान कर दिया है। अप्रार्थी द्वारा किसी अजनबी क्रेता को बैचान नहीं करने का कथन किया है। उक्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी की होने से अप्रार्थी कर्ता खानदान है। अप्रार्थी के जीवनकाल में प्रार्थी को खातेदार प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी से संबंधित हकहकुकों का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात निर्धारण के पश्चात साक्ष्य सबूतों के आधार पर होगा। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने अनेक न्याय निर्णयन में यह— निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम मामला उनके पक्ष में बखूबी साबित/सिद्ध होता है।

<u>(2) सुविधा का संतुलनः—</u> प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा काश्त होना कथन किया है, परन्तु पत्रावली पर इनका कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार एवं निरन्तर उसका कब्जा काश्त है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में भली—भॉति साबित/सिद्ध होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

<u>(3) अपूरणीय क्षतिः—</u> पूर्व विवेचित बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुके है। वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से रिकॉर्डेड खातेदार का कृषि आदान—अनुदान, बैंक से ऋण प्राप्ति, रहनयुक्ति एवं कृषि भूमि के विकास आदि से वंचित हो जायेगा। इस प्रकार खातेदार को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। अतः यह बिन्दु बहस अप्रार्थी साबित होती है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकॉर्डेड खातेदारान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधि संगत नहीं समझते है।

–:: आदेश ::–

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों कानूनी बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध/साबित होने से खारिज किया जाता है पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)
सहायक कलक्टर, सांचौर

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested